छोटे उद्यमियों के लिए बड़ा प्लेटफार्म बना जीईएम

अब तक साढ़े 26 हजार स्टार्टअप इस पोर्टल के जरिये कर चुके हैं 29 हजार करोड़ रुपये का कारोबार

अरविंद शर्मा ● जागरण

नई दिल्ली: गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) ने पिछले आठ वर्षों में मेक इन इंडिया के तहत बाजार के अवसरों को पारदर्शी बनाया है। इस पोर्टल ने बिचौलिया प्रणाली को खत्म कर नई तकनीक के जरिये स्टार्टअप एवं छोटे उद्यमियों को बड़ा प्लेटफार्म दिया है। इससे सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के साथ ही महिला उद्यमियों को भी बाजार में मजबूती के साथ आगे बढ़ने का मौका मिला है। अभी तक साढ़े 26 हजार से ज्यादा स्टार्टअप जीईएम के माध्यम से 29 हजार करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर चुके हैं। सिर्फ वित्त वर्ष 23-24 में जीईएम पोर्टल पर स्टार्टअप ने 97 हजार से अधिक आर्डर की आपूर्ति की है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 'मेक इन इंडिया' अवधारणा के तहत सितंबर 2016 में जीईएम पोर्टल की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य कारोबार में नवाचार के जरिये बुनियादी ढांचे का विकास करना था, ताकि देश की प्रगति को सहारा मिल सके। पोर्टल पर उत्पादों एवं सेवाओं को सूचीबद्ध करने के लिए मेक इन इंडिया की शर्तों को अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे स्थानीय निर्माताओं की पहचान कर उन्हें प्राथमिकता देना आसान हो गया है। जीईएम ने वोकल फोर लोकल स्टोर के जरिये महिला, एससी-एसटी, एमएसएमई, कारीगर, बुनकर, शिल्पकार, स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन और सहकारी समितियों के कारोबारी दायरे का विस्तार किया है।

जीईएम के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजीत बी. चव्हाण ने बताया कि पांच लाख से अधिक के अनुमानित मूल्य वाली बोलियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। तीन वर्ष पहले तक जीईएम पोर्टल पर सरकारी संस्थाओं द्वारा मंगाई गई 39 प्रतिशत निविदा 'मेक इन इंडिया' से जुड़ी होती थीं। अब यह बढ़कर (सितंबर 2024 तक) 81 प्रतिशत हो गया है। चव्हाण के मुताबिक, लेनदेन शुल्क में कटौती सबके लिए समान अवसर पैदा करने का प्रयास है, ताकि सार्वजनिक खरीद की सहज प्रणाली विकसित की जा सके।

राज्यों से ज्यादा से ज्यादा खरीदारी का आग्रह

जीईएम की सामान्य शर्तों के तहत केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों एवं सार्वजनिक उपक्रमों में खरीदारी पोर्टल पर पंजीकृत विक्रेताओं से करने की बाध्यता है। राज्यों से भी आग्रह किया जा रहा है कि जीईएम पोर्टल प्रणाली को अपनाएं। घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए जीईएम पोर्टल पर मेक इन इंडिया फिल्टर भी उपलब्ध है, ताकि खरीदारों को उत्पादों की जानकारी आसानी से हो सके।

- पोर्टल पर मेक इन इंडिया से जुड़ी निविदा की संख्या बढ़कर 81 प्रतिशत हुई
- सबको समान अवसर देने के लिए लेनदेन शुल्क में 96 प्रतिशत तक कटौती की गई

GeM
Government
e Marketplace

तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होगा लेनदेन शुल्क

छोटे उद्यमों को बड़ी राहत देते हुए जीईएम ने अपने लेनदेन शुल्क को 96 प्रतिशत तक कम कर दिया है। दस लाख से कम के आर्डर पर अब कोई शुल्क नहीं है। पहले यह सीमा पांच लाख थी। पिछले वर्ष 97 प्रतिशत लेन-देन पर शून्य शुल्क लगा है। दस लाख से दस करोड़ रुपये तक के आर्डर पर मूल्य का मात्र 0.30 प्रतिशत शुल्क ही लगाया जाएगा। पहले 0.45 प्रतिशत लगता था। दस करोड़ रुपये से अधिक के आर्डर पर अधिकतम तीन लाख रुपये का शुल्क देना होगा, जो पहले 72.5 लाख रुपये था। अधिकतम शुल्क तीन लाख रुपये से ज्यादा नहीं होगा, चाहे आर्डर का आकार कुछ भी हो।